रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 57] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 12, 1973/फाल्गुन 21, 1894

No. 57] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 12, 1973/PHALGUNA 21, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March 1973

G.S.R. 166(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 16 of the Coal Mines (Taking Over of Management) Ordinance, 1973 (No. 1 of 1973), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Coal Mines Advisory Board) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazzette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Board" means the Advisory Board constituted under rule 3;

(b) "Chairman" means the Chairman of the Board;

(c) "Custodian-General" means the Custodian-General appointed under clause (a) of sub-section (2) of section 5 of the Ordinance;

(d) "member" means a member of the Board;

(e) "Ordinance" means the Coal Mines (Taking Over of Management) Ordinance, 1973 (No. 1 of 1973).

3. **Constitution of the Board.**—(1) There shall be constituted by the Central Government, by notification, a Board, to be known as the "Coal Mines Advisory Board", for advising the Custodian-General in the management of the coal mines.

(2) The Board shall consist of the Custodian-General and not more than fourteen other members to be nominated by the Central Government.

(3) The Custodian-General shall be the Chairman of the Board and shall preside over the meetings of the Board.

(4) If for any reason the Custodian-General is unable to attend any meeting of the Board, any member of the Board, elected by the members present at the meeting from amongest themselves, shall preside at the meeting.

4. **Meetings of the Board.**—(1) A meeting of the Board shall be held atleast once in every month and may be held as often as may be necessary.

(2) A meeting of the Board shall be convened by the Custodian-General and shall be held at such place as may be specified by the Custodian-General in the notice of the meeting.

(3) Notice of every meeting of the Board shall be given in writing to every member at his usual address.

(4) Ordinarily not less than seven days' notice shall be given for any meeting of the Board.

Provided that where in view of the urgency of any matter the Custodian-General is of opinion that it is necessary so to do, he may give such shorter notice as he may think fit.

(5) No business other than that for which the meeting has been convened shall be transacted at a meeting of the Board, except with he permission of the Chairman.

(6) Three members, personally present, shall be the quorum for a meeting of the Board.

(7) All questions at the meeting shall be decided by a majority of the votes of the members present and voting and in the case of equality of the votes, the Chairman, or the person presiding in the absence of the Chairman, shall have a second or a casting vote.

(8) A copy of the proceeding of such meeting of the Board shall be circulated as soon as possible after the meeting for the information of the members and shall be signed by the Chairman or the person presiding at that meeting.

(9) No act or proceeding of the Board shall be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy in or any defect in the constitution of the Board.

5. **Terms of Office of the Members.**—(1) A member shall hold office during the pleasure of the Central Government.

(2) A non-official member shall receive such fees, remuneration or allowances, as the Central Government may fix for attending any meeting of the Board.

6. **Power to pass Resolution by Circulation.**—The Board may, instead of holding a meeting, pass any resolution by circulation, and any such resolution signed by a majority of the members shall be deemed to be a resolution passed by the Board and shall be effective on and from the date on which it was signed by the last signatory.

Provided that any resolution passed by circulation shall be placed before the next meeting of the Board and if the Board makes any modification in the resolution or decides that the resolution shall not have effect, the resolution shall thereafer have effect in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that resolution.

[No. 101(5)/73-CH.]

S. B. LAL, Jt. Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1973

एस० ओ० 166 (अ).—कोयला खान (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1973 (1973 का 1) की धारा 16 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम कोयला खान (सलाहकारी बोर्ड) नियम, 1973 होगा

(2) यह राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "बोर्ड" से नियम 3 के अधीन गठित सलाहकारी बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ख) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ग) "महा-अभिरक्षक" से अध्यादेश की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त महा-अभिरक्षक अभिप्रेत है ;

(घ) "सदस्य" से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है ;

(ङ) "अध्यादेश' से कोयला खान (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1973 (1973 का 1) अभिप्रेत है ,

3. बोर्ड का गठन.—(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, कोयला खानों के प्रबन्ध मे महा-अभिरक्षक को सलाह देने के लिए "कोयला खान सलाहकारी बोर्ड" के रूप में ज्ञात बोर्ड गठित किया जाएगा;

(2) बोर्ड मे केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित महा-अभिरक्षक और चौदह से अनधिक अन्य सदस्य होंगे :

(3) महा-अभिरक्षक बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वह बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

(4) यदि किसी कारणवश महा-अभिरक्षक बोर्ड की किसी बैठक मे उपस्थित होने में असमर्थ है, बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा उन्हीं मे से निर्वाचित बोर्ड का कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

4. बोर्ड की बैठकें.—(1) बोर्ड की प्रत्येक माह कम से कम एक बार और आवश्यकता पड़ने पर कितनी भी बार बैठकें होंगी ।

(2) महा-अभिरक्षक द्वारा बोर्ड की बैठक बुलाई जाएगी और वह ऐसे स्थान पर होगी जैसा कि सूचना मे विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(3) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की सूचना, प्रत्येक सदस्य को, उसके प्रायिक पते पर, लिखित रूप में दी जाएगी ।

(4) सामान्यतः बोर्ड की किसी बैठक के लिए कम से कम सात दिन की सूचना दी जाएगी।

परन्तु किसी मामले की अत्यावश्यकता को देखते हुए महा-अभिरक्षक का यह विचार कि ऐसा करना अत्यावश्यक है, तो वह ऐसी अल्पकालिक सूचना दे सकेगा जैसा वह ठीक समझे।

(5) अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना, बोर्ड की बैठक में उस कारबार से, जिसके लिए बैठक बुलाई गई है, भिन्न अन्य कोई कारबार संव्यवहारित नहीं किया जाएगा।

(6) बोर्ड की बैठक के लिए गणपूर्ति व्यक्तिगत रूप से उपस्थित तीन सदस्यों की होगी।

(7) बैठक में सभी प्रश्न उपस्थित और मताधिकारी सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किए जाएंगे और मतों के बराबर होने की स्थिति में, अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय अथवा निर्णायक मत होगा।

(8) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही की प्रति बैठक के पश्चात् यथा संभव शीघ्रता से सदस्यों की जानकारी के लिए परिचालित की जाएगी और अध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी।

(9) केवल बोर्ड के गठन में किसी प्रकार की रिक्ति या त्रुटि की विद्यमानता के आधार पर बोर्ड का कोई कार्य अथवा कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी।

5. सदस्यों की पदावधि.—(1) सदस्य केन्द्रीय सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

(2) अशासकीय सदस्य ऐसा शुल्क, वेतन या भत्ते लेगा जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बोर्ड की किसी बैठक में भाग लेने के लिए निर्धारित किया जा सकेगा।

6. परिचालन द्वारा संकल्प पारित करने की शक्ति.—बोर्ड बैठक बुलाने के बजाय, परिचालन द्वारा किसी संकल्प को पारित कर सकेगा और अधिकांश सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित इस प्रकार का संकल्प बोर्ड द्वारा पारित संकल्प समझा जाएगा और उसे अन्तिम हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित तारीख को और से प्रभावी माना जाएगा।

परन्तु परिचालन द्वारा पारित कोई सकल्प बोर्ड की अगली बैठक के समक्ष रखा जाएगा और यदि बोर्ड संकल्प में कोई उपांतरण करता है अथवा वह विनिश्चय करता है कि संकल्प अप्रभावी होगा, तत्पश्चात् संकल्प ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगा अथवा, यथा-स्थिति, अप्रभावी होगा, तथापि, कोई उपांतरण अथवा वातिलीकरण, उस संकल्प के अधीन तत्पूर्व किए गए किसी कार्य की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

[सं० 101(5)/73-को० दो]

शरण बिहारीलाल, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973